

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवम् पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज)


क्रमांक 1939

जयपुर दिनांक 24 जून, 2014

आदेश

ग्राम पंचायत में ग्राम सेवक का पद रिक्त होने, लम्बे अवकाश पर जाने की स्थिति में अब तक ग्राम पंचायत का अतिरिक्त कार्यभार समीपस्थ ग्राम पंचायत के ग्राम सेवक को दिया जाता है। ग्राम सेवकों के रिक्त पदों एवम् अन्य कारणों से कहीं-कहीं एक-एक ग्राम सेवक पर कई-कई ग्राम पंचायतों का अतिरिक्त कार्यभार आ जाता है व इससे ग्राम सेवक की कार्यक्षमता प्रभावित होती है। वर्तमान में बहुतसी ग्राम पंचायतों में कनिष्ठ लिपिकों के पद भरे जा चुके हैं तथा अतिशीघ्र सभी ग्राम पंचायतों में कनिष्ठ लिपिक पदस्थापित किये जायेंगे। यह कनिष्ठ लिपिक ग्राम सेवकों के साथ मिलकर ग्राम पंचायत के समस्त राजकीय कार्यों को निष्पादित करते हैं।


अतः प्रशासनिक दृष्टि से एवम् कार्य निष्पादन को गति देने की दृष्टि से यह निर्देश दिये जाते हैं कि जिस ग्राम पंचायत में कनिष्ठ लिपिक पदस्थापित है, उन ग्राम पंचायतों में ग्राम सेवक का पद रिक्त होने पर अथवा ग्राम सेवक के किसी कारण से लम्बे अवकाश पर जाने की स्थिति में नियमित व्यवस्था होने तक ग्राम सेवक का कार्यभार उस पंचायत में कार्यरत कनिष्ठ लिपिक को दिया जा सकेगा।


(राजेश यादव)

शासन सचिव एवम् आयुक्त

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

- 1- विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, ग्राविपरा, जयपुर।
- 2- निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्राविपरा, जयपुर।
- 3- निजी सचिव, शासन सचिव ग्रामीण विकास विभाग, जयपुर।
- 4- आयुक्त, महानरेगा।
- 5- समस्त मुख्य / अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्
- 6- समस्त विकास अधिकारी, पंचायत समिति,
- 7- प्रोग्रामार, पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- 8- आदेश पत्रावली।


अतिरिक्त निदेशक एवम्
उप शासन सचिव (प्रशा.2)

24